P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-5*January-2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

# महिलाओं के प्रति अत्याचार एवम् मानवाधिकार

**नीलम जुनेजा**
व्याख्याता,
इतिहास विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
सूरतगढ़ ,श्रीगंगानगर

**सारांश**

मानवाधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिये सहायक व अनिवार्य है। इसके अभाव में व्यक्ति ना तो विकास कर सकता है ना ही समाज के लिये उपयोगी कार्य। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों को संवैधानिक कानूनों के द्वारा निश्चित किया गया है। मानवाधिकारों की व्यवस्था का कार्य व उत्तरदायित्व संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था को दिया गया है।

मानव शब्द में महिलाऐं एवम् पुरूष दोनों आते है। दोनो सृष्टि के सर्जनकर्ता और एक दूसरे के पूरक व सहयोगी है। सामाजिक परम्पराओं, अन्धविश्वासों, संकीर्ण मानसिकता, महिलाओं के प्रति भेद एवं अत्याचारों के कारण जो सम्मान व अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिये वो नहीं मिल पाते इस कारण महिलाऐं मानवाधिकारों से वंचित रहती है। समाज में महिलाऐं किसी ना किसी रूप से शोषित है, अन्याय व उत्पीड़न सहने को विवश है इस कारण उनकी स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है जो समाज व राष्ट्र के लिये खतरनाक है।

समाज में महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकार उपलब्ध हो, उनके व्यक्तित्व का विकास हो, सुरक्षा व सम्मान मिले एवम समाज में महिलाऐ सशक्त होकर जीवनयापन कर सके। महिला अत्याचार एवम् मानवाधिकार लेख में इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। शोध पत्र का उद्देश्य महिला अत्याचारों से सुरक्षा हेतु मानवाधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक व सचेत करना हैं।

**मुख्य शब्द :** मानवाधिकार, नारी, भारतीय संविधान

**प्रस्तावना**

प्राचीन काल में नारी की दशा समाज में उन्नत थी उसे पूजनीय माना जाता था। ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि नारी के प्रति समाज में यह धारणा थी ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है। महिला शब्द के सन्दर्भ में विद्ववानों का मानना है कि महिला शब्द मह+इल+आ से बना है मह का अर्थ श्रेष्ठ तथा पूज्य है जो नारी की सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है। अरस्तू जैसे विद्वान ने भी नारी के बारे में लिखा है ''नारी की उन्नति व अवनति पर राष्ट्र की उन्नति व अवनति निर्धारित हैं।

महिलाओं के प्रति समाज के दो प्रकार के दृष्टिकोण है एक दृष्टिकोण महिलाओं को पुरूषों को समान अधिकार दिलाने के पक्ष में है वह नारी को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती व पुरूष की अर्धागिनी मानता है। दूसरा दृष्टिकोण नारी को उनके अधिकारों से वंचित रखने के पक्ष में है जो उनका शोषण करते हुये महिलाओं पर अनेको अत्याचार करता है जिससे महिलाओं की दशा समाज में काफी शोचनीय होती जा रही है। आज कहने को तो हम आधुनिकता का दावा करते है लेकिन महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखकर प्रतीत होता है कि हम मध्ययुगीन बर्बर युग में जी रहे है। क्योंकि आज भी महिलाओं को दहेज के कारण आग की लपटों में झोंक दिया जाता है, या घर से निकाल दिया जाता है, वस्तुओं की भांति उनका क्रय विक्रय किया जाता है या उनकी अस्मत से खिलवाड़ किया जाता है इस प्रकार के अनेकों उदाहरण देखने व सुनने को मिलते है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के लिये पुरूष प्रधान समाज, पुरूष की संकीर्ण मानसिकता, सामाजिक परम्पराऐं एवम् सामाजिक कुरीतियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आज भी परिस्थितियाँ बहुत ज्यादा नहीं बदली। आज भी महिला पुरूष के अधीन हैं, बचपन में पिता के अधीन, विवाह के पश्चात पति के अधीन, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पुरूष प्रधान समाज में नारी का तिरस्कार किया जाता है उसे अपमानित व शोषित किया जाता है। नारी जाति का दुर्भाग्य है नारी जाति के

प्रति होने वाले अत्याचारों में स्त्री भी अपराधी का साथ देती है उसे प्रेरित व प्रोत्साहित करती है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार को दो भागों में बाँटा जाता है पुरूषों के द्वारा किये जाने वाले अत्याचार और स्त्रियों के द्वारा किये जाने वाले अत्याचार।

**उद्देश्य**

इस शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से सुरक्षा हेतु मानवाधिकारो से अवगत करवाना एंव जागृत कराना हैं। ताकि महिलाऐं सशक्त होकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अत्याचारो का विरोध कर सकें।

**महिलाओं के विरूद्ध पुरूषों के द्वारा किये जाने वाले अत्याचार**

यह वैज्ञानिक व वास्तविक सत्य है कि महिलाऐं पुरूषों की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि से निर्बल है इस कारण पुरूषों के द्वारा उन्हें अनेकों अत्याचारों का सामना करना पड़ता है जैसे –

**यौन उत्पीड़न**

यौन उत्पीड़न सामाजिक अपराध है। यौन उत्पीड़न सभी क्षेत्रों की महिलाओं को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है चाहे वह किसी भी उम्र की हो या किसी भी श्रेणी की एक कटु सत्य यह भी है उच्च शिक्षित व अत्याधुनिक महिलाएं यौन–उत्पीड़न का शिकार अधिक होती हैं।

एक स्वैच्छिक संगठन ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के मध्य एक सर्वेक्षण किया जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। इस सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं ने और 55 प्रतिशत छात्राओं ने स्वीकार किया कि कार्यस्थल या स्कूल व कॉलेजों में उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया जाता है।

यौन उत्पीड़न के संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश के विभिन्न इलाकों में काम करने वाली 1200 महिलाओं से कई सवाल पूछे। 50 फीसदी कामकाजी महिलाओं ने कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और शारीरिक–मानसिक उत्पीड़न की शिकायत की। चालीस फीसदी औरतें अक्सर ऐसे संकेतों को नजरअन्दाज कर देती है। 3.54 प्रतिशत औरतों ने अपने अधिकारी को इस बारे में बताया और केवल 7.8 प्रतिशत फीसदी महिलाएं थाने तक गई। न्याय की मांग की परन्तु न्याय नहीं मिल पाता।

**बलात्कार**

आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अत्याचार झेलने पड़ते है लेकिन इनमें सबसे अधिक भयानक अत्याचार बलात्कार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में भी बलात्कार को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध, उसकी सहमति के बिना अथवा उसे डरा धमका कर किया गया सहवास बलात्कार कहलाता है।

बलात्कारी किसी भी सामाजिक वर्ग का हो सकता है। वह एक व्यवसायी, नौकरीपेशा, छात्र, कलाकार या कोई बेरोजगार या रिश्तेदार या पड़ौसी भी हो सकता है। ऐसे मामले भी कम नहीं है जिसमें किसी परिचित द्वारा बलात्कार किया जाता है। बलात्कार चाहे किसी भी भावना के वशीभूत होकर किया जाए इसकी पीड़ा महिला को ही सहनी पड़ती है बलात्कार के बाद पीड़िता को किस मनोस्थिति से गुजरना पड़ता होगा, इसकी कल्पना मात्र से भी भय उत्पन्न होता है।

बलात्कार जितना जघन्य कृकृत्य होता है उतनी ही लम्बी इससे संबंधित न्याय प्रक्रिया होती है। वैसे तो बलात्कार की शिकार अधिकतर महिलाएं कानून की शरण में जाने से डरती हैं, घबराती हैं लेकिन यदि वे इन्साफ के लिए कानून का दरवाजा खटखटा भी दे तो अदालती प्रक्रिया इतनी लम्बी और जटिल होती है कि यदि उन्हें न्याय मिलता भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।

**महिला हत्या**

विभिन्न कारणों से महिलाओं को हत्या जैसे अपराधों का सामना करना पड़ता है जैसे प्रेमान्धता में प्रतिशोधस्वरूप अथवा ईर्ष्यावश अपनी प्रेमिकाओं की हत्या करना काफी आम बात है या अक्सर देखने सुनने को मिलता है कि बलात्कार के बाद अपराधी पीड़िता की हत्या कर देता है। वह ऐसा अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से करता है।

इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति चाहे वह पिता हो या पति, चरित्रहीन स्त्री को सहन नहीं कर पाता। चरित्रहीनता के कारण भी स्त्री की हत्या करना आम बात है। इसके अतिरिक्त अय्याशी में रूकावट बनने पर या घरेलु झगड़े अथवा पुरूष की विकृत मनोवृत्तियों के कारण भी महिला की हत्या कर दी जाती है। यह समाज में एक भीषण अपराध है।

**दहेज उत्पीड़न**

महिला उत्पीड़न में दहेज प्रथा भी एक कुप्रथा है। यह एक ऐसी कुरीति जिसके कारण प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियां इसकी बलिवेदी पर चढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वर पक्ष दहेज की मात्रा से संतुष्ट नहीं होता है ऐसे में नवविवाहिता को प्रताड़ित करने का एक अन्तहीन सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है अधिकांशतः उच्च वर्गीय एवं उच्च शिक्षित परिवारों में भी दहेज के लिए विवाहिता का प्रताड़ित किया जाता है। दहेज अकेला ऐसा नासूर है जिसके कारण भारतीय समाज में कन्या का जन्म होने पर अब भी अधिकतर परिवार खुशियां नहीं मनाते, कन्या जन्म को अब अभिशाप माना जाने लगा हैं।

सरकार तथा गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के लाख प्रयासों के बावजूद हमारे समाज में दहेज की प्रथा दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है यह एक सामाजिक कुरीति है और केवल कानून बनाकर ही इस कुप्रथा का समूल नाश नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इस बुराई से लड़ने के लिए समाज में लोगों को सोच बदलनी होगी, विशेषकर युवाओं को सामने आना होगा।

**बाल वेश्यावृत्ति : अमानवीय कुकृत्य**

यदि हम अपने आस–पास के समाज का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि हमारे समाज में बाल–वेश्यावृति बहुत तेजी से बढ़ रही है। नैतिकता और विकास की दृष्टि से देखें तो ऐसे किसी समाज को सभ्य समाज कहा ही नहीं जा सकता जिसमें बाल वेश्यावृति

जैसी बुराई अपनी जड़े जमा रही हैं। चौकाने वाले तथ्य यह है कि 14 वर्ष से कम आयु की बच्चियों द्वारा कराई जाने वाली वेश्यावृति की दर प्रतिवर्ष 8–10 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है। यदि समय रहते बाल–वेश्यावृति पर रोक नहीं लगाई गई तो इसकी कीमत भारत को ही चुकानी पड़ेगी।

**कन्या भ्रूण हत्या**

कन्या को लक्ष्मी की उपमा देने वाली हमारी संस्कृति आज कितनी क्रूर और अमानवीय हो गई है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज हमारे यहां स्त्री–पुरूष अनुपात तेजी से घट रहा है और इसका बहुत बड़ा कारण कन्या भ्रूणों की हत्या है। कन्या को पालने, उसकी अस्मिता की रक्षा करने और जवान होने पर भारी दहेज देकर उसका विवाह करने से बचने के लिए आजकल लोग कन्या जन्म को अभिशाप मानने लगे है और इस अभिशाप से बचने के लिए वे मादा भ्रूण की मां की कोख में ही हत्या कर देते है। हालांकि कन्या भ्रूण का गर्भपात करवाना कानूनन जुर्म घोषित कर दिया गया है और इसके लिए कई कानून अस्तित्व में आ चुके है लेकिन फिर भी कोख में पल रही कन्याओं का गर्भपात करवाना लगातार बढता जा रहा है।

एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रत्येक वर्ष एक लाख से भी अधिक महिलाएं गर्भ सम्बन्धी कारणों से मृत्यु का शिकार हो जाती है। और अधिकतर मौतें कन्या भ्रूण का गर्भपात करतेसमय ही होती है। आजादी के पांच दशक बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कानूनी तौर पर भ्रूण की जांच को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद ऐसा लगातार खुले आम हो रहा है।

**मीडिया और अश्लीलता**

भौतिकता के इस युग में हर चीज बिकती है इसलिए नए जमाने में नारी शरीर को भी जमकर बेचा जा रहा है और इसके लिए सहारा लिया जा रहा हैं टेलिविजन, फिल्म और मुद्रित माध्यमों यथा पत्र–पत्रिकाओं का। स्त्री शरीर का इस प्रकार अश्लील प्रदर्शन एक सामाजिक अपराध तो हैं ही साथ ही यह घोर अनैतिक कुकृत्य भी हैं। समाज में दिन–प्रतिदिन बढ़ रहे बलात्कार और अन्य यौन–अपराधों के पीछे फिल्म तथा टेलिविजन को भी एक प्रमुख कारण माना जाता हैं।

**महिलाओं के विरूद्ध महिलाओं द्वारा अत्याचार**

स्वयं महिलाएं भी महिलाओं को प्रताड़ित करने में पीछे नहीं है। वेश्यावृति एक बहुत बड़ा एक अपराध है। यह एक प्रमाणिक सत्य है कि वेश्यावृति कराने वालो में पुरूषों से भी अधिक संख्या महिलाओं की होती है। दहेज की चाहत करने वाली ये महिलाएं ही होती हैं जो बहुओं पर अत्याचार करती हैं। इसी प्रकार कन्या भ्रूण हत्या व सती प्रथा जैसे अपराधों के पीछे भी अधिकतर परिवार की महिलाएं ही होती हैं। घर की बुजुर्ग महिलाएं ही किसी स्त्री के प्रति के मरने पर उसे जबरन सती हो जाने को प्रेरित करती है, बेटे की चाहत में कन्या भ्रूण हत्या करने को बाध्य करती है।

**भारतीय महिला एवं मानवाधिकार**

अधिकार हमारे मानवीय जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नही कर सकता। राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है इसलिए राज्य द्वारा व्यक्ति को बाहरी सुविधाओं को प्रदान किया गया है जिसे मानवाधिकार कहते हैं। किसी देश के धनी व शकित्शाली होने की कसौटी उस का धनी व शक्तिशाली होना नहीं बल्कि मानवाधिकार के प्रति वह कितना जागरूक है इस माना जाता है। भारत में वैदिक काल से ही मानवाधिकार की चेतना का उदय देखने को मिलता है। वेदों में मानवता को मूलतंत्र बताया गया है। महात्माओं ने भी मानवसेवा को धर्म की संज्ञा दी है। ईसा ने भी मानवता पर विचार देते हुए मनुष्य मात्र से प्रेम करने इस की शिक्षा दी है। इन विचारों से आज मानवाधिकार का प्रारम्भ हुआ है। मानवाधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा मानव को कार्य करने की स्वतन्त्रता एवं सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। जिससे मानव अपना बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सके।

यद्यपि मानवाधिकार पुरूष एवं महिला दोनों वर्गो की दृष्टि से एक ही हैं। महिलाओं के परिपेक्ष्य में मानवाधिकारों का प्रश्न इसलिए अलग से विचारणीय और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरूष सत्तात्मक विश्व में लिंगभेद की परम्परा सदियों से चली आ रही है। वस्तुतः मानव जगत में यदि कोई सबसे प्राचीन असमानता अथवा विभाजक रेखा है तो वह लिंगभेद ही है। लिंग भेद की अवधारणा ने मानव जीवन को दो ध्रुवों में बांटकर स्त्री व पुरूष को परस्पर एक दूसरे का पूरक न मानकर स्त्री को पुरूष का अनुगामी घोषित किया है जिससे महिलाओं की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया।

महिला मानवाधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ व भारतीय सरकार के द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों व अधिनियम के माध्यम से प्रभावशाली कार्य किये गये जैसे –

**संयुक्त राष्ट्र एवं महिला अधिकार**

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि ''हम संयुक्त राष्ट्रो लोग.....मूलभूत मानवाधिकारों में मानव की गरिमा ओर महत्व व मूल्य में तथा स्त्री–पुरूष के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं.....'' साथ ही चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकारों की घोषणा की गई।

**अनुच्छेद 16 (1)**

के अन्तर्गत व्यस्क पुरूष व स्त्रियों को मूलवंश राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवाह करने और कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार है।

**अनुच्छेद 23 (2)**

के अनुसार बिना भेदभाव के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार हैं।

**अनुच्छेद 26 (1)**

के अनुसार सभी व्यक्तियों को शिक्षा पाने का अधिकार हैं।

**संवैधानिक उपाय**

भारत में संविधान की प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' शब्द से प्रारंभ हैं जिसका अर्थ हैं स्त्री और पुरूष की समानता को दर्जा दिया गया। संविधान का लक्ष्य नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक

न्याय, विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा बंधुता को बढावा देने के लिए राष्ट्र की एकता आश्वस्त करती हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में महिलाओं के प्रति महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए।

**अनुच्छेद 15**

1. महिला व पुरूष दोनों को समानाधिकार हैं।
2. राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा।
3. अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट सुविधा और सुरक्षा का प्रावधान करता है तो उसे संविधान के विरूद्ध नहीं माना जायेगा।

**अनुच्छेद 16**

महिलाओं को पुरूषों के समान कार्य करने का अवसर प्रदान किया जायेगा एवं समान कार्य हेतु एक समान वेतन प्रदान किया जायेगा।

**अनुच्छेद 21**

यह प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करता हैं। यह अधिकार स्त्री पुरूष को समान संरक्षण देता हैं।

**अनुच्छेद 39**

1. पुरूष और स्त्री, नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
2. पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
3. पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न हो।

**अनुच्छेद 42**

अनुच्छेद द्वारा महिलाओं के लिए प्रसूतिकाल में राहत की व्यवस्था तथा काम के स्थान पर मानवीय सुविधा की व्यवस्था करेगा।

**अनुच्छेद 43**

यह मजदूरों के लिए वेतन तथा अच्छा जीवन जीने की व्यवस्था करता हैं।

**अनुच्छेद 44**

राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

**अनुच्छेद 51 (क)**

प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरूद्ध हैं। यह भारत के संविधान में अंकित मौलिक कर्तव्यों में से एक हैं।

संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किए गए।

**अनुच्छेद 325**

इसमें समान मताधिकार की व्यवस्था अर्थात् स्त्री और पुरूष को समान रूप से मत देने और चुने जाने का अधिकार देता हैं। व्यस्क होने पर दोनों अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया है तथा महिलाओं के प्रति विस्तृत अधिकारों की विवेचना की गई है तथा इस सन्दर्भ में संविधान में विभिन्न अधिनियमों को स्थान दिया गया है :–

**सती प्रथा निवारण अधिनियम 1929**

इस अधिनियम के अंतर्गत सती कर्म करने के लिए कारावास और जुर्माना दोनों की सजा का प्रावधान है।

**दहेज निवारण अधिनियम 1961 (संशोधित 1986)**

इसके अंतर्गत दहेज लेने और देने के लिए दंड की व्यवस्था की गई हैं। तथा दहेज मृत्यु पर 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान हैं।

**अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 (संशोधित 1986)**

वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करने के लिए एवं कन्याओं के अनैतिक क्रय–विक्रय को रोकने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया।

इसके अंतर्गत व्यवस्था है कि संदिग्ध या अपराधी महिला से पूछताछ, तालाशी एवं गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस या महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा की जायेगी।

**औषधियों द्वारा गर्भ गिराने से संबंधित अधिनियम (1971)**

यह अधिनियम प्रारंभिक रूप से महिलाएं विशेषज्ञ के माध्यम से गर्भ गिरा सकती हैं, संबंधित कागजात गुप्त रखे जायेंगे।

**स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1986**

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जायेगा जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुँचे। समस्त प्रकाशन आदि में अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।

**विशेष विवाह अधिनियम 1954**

इस अधिनियम में कोई भी महिला बिना धर्म परिवर्तन किए किसी अन्य धर्म मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती हैं।

इसमें महिलाओं को पैतृक सम्पति में उत्तराधिकार प्रदान किया गया हैं।

**हिन्दू विवाह अधिनियम 1955**

स्त्रियों को भरण–पोषण और दम्पत्तिक प्रदान करता है।

**हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956**

इसमें महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्रदान किया गया है।

**प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994**

इसमें गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाई गई है।

**73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन (1993)**

इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में एक–तिहाई आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान हैं।

**समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976**

इसके अंतर्गत समान कार्य हेतु महिलाओं को भी पुरूषों के समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के सन्दर्भ में महिलाओं की समानता एवं स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण

प्रावधान किये गये है और **भारतीय दण्ड संहिता** में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिये उनके साथ होने वाले विभिन्न अपराधों से रक्षा के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म के बाद देश के राष्ट्रपति ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय दण्ड संहिता में नई–नई धाराएं लागू कर उस में सख्त सजा का प्रावधान किया है।

महिलाओं की सुरक्षा भारतीय दण्ड संहिता में कुछ धाराएं इस प्रकार है–

1 किसी महिला की शालीनता (लज्जा) भंग करने के उद्देश्य से शाब्दिक या अशाब्दिक कार्य करता है तो नई 354 (ए) के तहत दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा यह गैर कानूनी जमानती अपराध होगा।

2 धारा नई 354 (बी) के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर किसी भी महिला को अपमानित करने या परेशान करने पर दोषी को कम से कम 3 वर्ष और अधिकतर 7 वर्ष का कारावास भुगतान होगा। यह अपराध और गैर जमानती होगा।

3 धारा 354 (सी) के अन्तर्गत –झाँकने को भी श्रेणी में शामिल किया गया है। सौन्दर्य प्रसाधन स्थलों पर ताकाझाँकी के अपराध में दोषी को एक से तीन वर्ष का कारावास भुगतान होगा।

4 किसी महिला का एक आशय से पीछा करना जिससे इसमें भय पैदा हो अथवा ई–मेल, मोबाईल, इलैक्ट्रोनिक्स तरीकों से व्यक्ति महिला के दिमाग की शान्ति भंग करता है तो उस व्यक्ति को एक से तीन वर्ष की सजा (कारावास) का प्रावधान है।

5 बलात्कार में दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

6 तेजाब हमला कर महिला को गम्भीर रूप से घायल करने पर दस वर्ष का आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। नई धारा के अन्तर्गत आरोपित को दस लाख रूपये का जुर्माना भी देना होगा। यह राशि पीड़ित व्यक्ति या महिला को मिलेगी। केवल तेजाब फैंकने का प्रयास करने वाले को पाँच से सात साल तक कारावास की सजा का प्रावधान है।

7 किसी लड़की का अपहरण करना, भगाकर ले जाना, शादी के लिये मजबूर करना, महिलाओं का क्रय–विक्रय करना इस प्रकार के किसी भी अपराध करने वाले दोषी को 10 वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान है।

8 पति का रिश्तेदारों द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता करने वाले को धारा 498 में दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है।

9 दहेज अधिनियम 1996 में दहेज लेने व देने का प्रतिबन्ध लगाकर किसी भी स्त्री की दहेज मृत्यु प्रभावित होने पर 7 वर्ष की कारावास की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।

10 अधिनियम 2005 स्त्रियों पर हो रही घरेलू हिंसा के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना है।

11 कन्या भ्रूण परीक्षण को कानून अपराध घोषित किया गया है। दोषी व्यक्ति के लिये 10 वर्ष की कारावास की सजा एवम जुर्माने का प्रावधान है।

12 पहली पत्नी के जीवित रहने दूसरी शादी करने वाले को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

**निष्कर्ष**

निःसन्देह भारत में महिलाओं के लिये अनेक प्रकार के कानून व प्रावधान किये गये है लेकिन अशिक्षा के कारण महिलाऐं इसे समझ नहीं पाती। सरकार, राजनेताओं, समाज सुधारको व शिक्षित वर्ग का दायित्व है कि वे महिला शिक्षा को बढ़ावा दें, महिलाओं को उनके अधिकारों व कानूनों से अवगत करवाये जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो सके और वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर अत्याचारों का विरोध करने से सक्षम बन पाये।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1 *श्रीमती पूजा शर्मा – महिलाऐं एवम् मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर*

2 *श्री मन्जु शर्मा – नारी के प्रति अत्याचार एवम मानवाधिकार, राहुल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ*

3 *डॉ. विप्लव – भारत में महिला मानवाधिकार, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर*

4 *डॉ. अनिल धरव पूजा शर्मा – गांधी दर्शन, शान्ति एवम मानवाधिकार, नागर प्रिन्टिंग प्रेस, कोटा*

5 *महेन्द्र कुमार मिश्रा – भारत का संविधान व मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर।*

6 *विपुल मिश्रा – गैर सरकारी संगठन, विकास एवम मानवाधिकार, सागर पब्लिशसर्ग, जयपुर*

7 *रेखा शर्मा – दलित महिलाऐं एवम मानवाधिकार – रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।*

8 *आर बोहरा – भारतीय समाज, मानवाधिकार कार्यक्रम, सागर पब्लिशर्स, जयपुर।*